

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 19TH MAY, 1997

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi, the 19th May, 1997

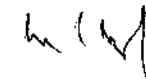
NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification number S.O.839(E) dated the 22nd November, 1994 issued under clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified the scheme of Ritambhara Vishva Vidyapeeth, 29, Doongersey Road, Malabar Hill, Mumbai-400026 for construction of school and hostel building for adivasi girls, establishing community development centres for imparting self employment skills to the adivasi women and medical relief in Dang District of Gujarat as an eligible project or scheme for a period of three years commencing from the assessment year 1995-96;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

AND WHEREAS the National Committee being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereby specifies the scheme of Ritambhara Vishva Vidyapeeth, 29, Doongersey Road, Malabar Hill, Mumbai-400026 for construction of school and hostel building for adivasi girls, establishing community development centres for imparting self employment skills to the adivasi women and medical relief in Dang District of Gujarat at the estimated cost of rupees one hundred seventy eight lakh and seventy seven thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from assessment year 1998-99 i.e. 1998-99, 1999-2000 and 2000-2001.



(V.K. SEHGAL)

Deputy Secretary to the Government of India

No. 10357
F.No. NC-62/97

भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड 1(iii) में
दिनांक 19 मई, 1997 को प्रकाशित ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 19 मई, 1997

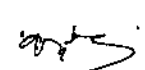
अधिसूचना

सं० जा० ॥ ३॥ केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 ॥ 1961 का 43॥ की धारा 35 का के स्पष्टीकरण के खण्ड ॥ ७॥ के अन्तर्गत दिनांक 22 नवम्बर, 1994 के सं० आ० 839 ॥ ३॥ के तहत जारी अधिसूचना के द्वारा ऋतम्भरा विश्व विद्यापीठ 29, इंगरसे रोड, मालावार हिल मुम्बई-400026 को आदिवासी लड़कियों के लिये स्कूल और होस्टल भवन का निर्माण आदिवासी महिलाओं को स्वरोजगार कलाओं को सिखाने और जिला दोंग गुजरात में मेडिकल सहायता के लिये सामुदायिक विकास केन्द्रों की स्थापना की योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1995-96 से शुरू होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था ।

और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की सम्भावना है,

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 113 के उप नियम ॥ 5॥ के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष की ओर अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और तिफारिश की है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ॥ 1961 का 43॥ की धारा 35 का के स्पष्टीकरण के खण्ड ॥ ७॥ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋतम्भरा विश्व विद्यापीठ 29, इंगरसे रोड, मालावार हिल मुम्बई-400026 को आदिवासी लड़कियों के लिये स्कूल और होस्टल भवन का निर्माण आदिवासी महिलाओं को स्वरोजगार कलाओं को सिखाने और जिला दोंग गुजरात में मेडिकल सहायता के लिये सामुदायिक विकास केन्द्रों की स्थापना की योजना को एक सौ अठत्तर लाख, सत्तर हजार रुपये की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1998-99 से शुरू होने वाले तीन निर्धारण वर्षों की अवधि अर्थात् 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।


॥ वी० के० सहगल ॥

उप सचिव, भारत सरकार

सं० - 10357

फा० सं० एन० सी०-62/97-